GCMS No. : 2023/102

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारीः– अरविन्द कुमार जाखड़

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 45/2023

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

अभियुक्त – श्री शंकर शम्भू गुप्ता पुत्र श्री दयानन्द गुप्ता
(खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक)
फर्म – मैसर्स यशी ट्रेडिंग कम्पनी, वार्ड नंबर 63, कुम्हार मोहल्ला, नजदीक जवाहरनगर थाना, श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(।।)/58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

निर्णय **दिनांकः 07 फरवरी, 2024**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री कंवर पाल सिंह कार्यालय मु.चि.एवंस्वा. अधिकारी श्रीगंगानगर में दिनांक 11.03.2023 से इस पद पर कार्य करने के लिए अधिकृत हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 22.12.2022 और संशोधित आदेश दिनांक 26.12.2023 के अनुसार उन्हे कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.02.2023 को सुबह 10.30 बजे **मैसर्स यशी ट्रेडिंग कम्पनी, वार्ड नंबर 63, कुम्हार मोहल्ला, नजदीक जवाहरनगर थाना, श्रीगंगानगर** पहुंचे। मौके पर श्री शंकर शंभू गुप्ता पुत्र श्री दयानंद विकेता एवं मालिक की हैसियत से मौजूदा था और दुकान में रखे 180 लीटर **सरसों का तेल(खुला)** के बारे में जानकारी चाहने पर विकेता ने दुकान के अंदर रखे 180 लीटर **सरसों का तेल(खुला)** को आमजन के बेचान हेतु बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **सरसों का तेल(खुला)** का नमुना लेने की इच्छा विकेता को फॉर्म नं. 05 ए भरकर देते हुए मौके पर फार्म स. 05 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता, मालिक एवं गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किए एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फार्म 05 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री शंकरशम्भू पुत्र श्री दयानन्द गुप्ता को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध 1.6 लीटर **सरसों का तेल(खुला)** को विक्रेता से खरीद किया, मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **सरसों का तेल(खुला)** का नगद भुगतान 210 रुपए किया एवं केशमीमो बनवाकर, खाद्य कारोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सरसों का तेल(खुला)** को बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर, चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–1639** दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर किए और खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराए। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप **के–1639** को नियमानुसार चारों नमूनों को नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बंद कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढाकर, सुनाकर, समझाकर फर्द रिपोर्ट पर हस्ताक्षर हेतु कहा, जिसे श्री शंकरशम्भू गुप्ता पुत्र श्री दयानन्द गुप्ता ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सीलबन्द कर अगले कार्यदिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की तथा शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्साएवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, बीकानेर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस 137/एक्ट/2023/137 दिनांक 24.02.2023 के अनुसार खाद्य नमूना **के–1639** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii)/58 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ Contravenes of Regulation Food होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्रीगांनगर ने अभियुक्त के विरूद्ध एफ.एस.एस.ए.एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 04.05.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 09.06.2023 को जवाब प्रस्तुत किया गया कि आवेदन पत्र की मद संख्या 1 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है। आवेदक साक्ष्य से प्रमाणिक करें कि उसके द्वारा अंकित कथन सत्य व सही है। आवेदन पत्र की मद संख्या 2 के वाक्यांत आंशिक रूप से स्वीकार है। एफ एसओ द्वारा फार्म स. 5 ए के अनुसार मिन जवाबदाता की फैक्ट्री का निरीक्षण दिनांक 13.02.2023 को किया गया था। जबकि प्रस्तुत

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवेदन की उक्त मद में विक्रेता की दूकान से नमूनीकरण का कार्य किया जाना बताया कर परिवाद/आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कि निराधार, मिथ्या व गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण वाद सव्यय निरस्तणीय है। मिनजवाबदाता की उक्त पता पर स्थित निर्माण ईकाई है। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संख्या के–1639 लेते समय फार्म संख्या 5 ए में उक्त निर्माण इकाई पर निरीक्षण करने पर पाया कि वहां विक्रेता के पास लोहे के ड्रम के अंदर 180 लीटर सरसों का तेल आमजन के विक्रय हेतु रखा है मिलावट का शक होने पर उक्त ड्रम में से 1.6 लीटर सरसों का तेल वास्ते नमूना जांच एफएसएसए 2006 के नियमानुसार संग्रहित कर क्रय कर लिया। लिखा गया है जबकि उक्त मद मे मिन जवाबदाता की दुकान पर ड्रम में रखे सरसों के तेल का होना बताया है साथ ही दुकान पर ड्रम में रखे सरसों के तेल के आमजन के बेचान वास्ते बताया अंकित करते हुए उक्त परिवाद पेश किया गया है जोकि फर्द एवं फार्म संख्या 5 ए के तथ्यों के अनुसार भिन्न है। फार्म संख्या 5 ए के अनुसार उक्त नमूनीकरण का कार्य मिन जवाबदाता की निर्माण इकाई से किया गया है न कि दुकान से। उक्त वाद मिन जवाबदाता से लिये गये नमूना से भिन्न होने के कारण वाद निरस्तणीय है। आवेदन पत्र की मद संख्या 3 के कथन अस्वीकार हैं। उक्त मद में किसी भी स्वतंत्र गवाह का होना नहीं बताया गया है नमूनीकरण के उक्त कार्य में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं होने के आधार पर भी उक्त परिवाद निरस्तणीय है। आवेदन पत्र की मद सं 4 के कथन अस्वीकार हैं। उक्त मद अनुसार फार्म संख्या 5 ए उक्त निर्माण इकाई पर निरीक्षण करने पर पाया कि वहां विक्रेता के पास लोहे के ड्रम के अंदर 180 लीटर सरसों का तेल आमजन के विक्रय हेतु रखा है। मिलावट का शक होने पर उक्त ड्रम में से 1.6 लीटर सरसों का तेल वास्ते नमूना जांच एफएसएसए 2006 के नियमानुसार संग्रहित कर क्रय कर लिया, लिखा गया है। उक्त मद अनुसार उक्त सरसों का तेल जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध था जबकि फार्म सं. 5 ए के अनुसार उक्त परिसर एक निर्माण इकाई है न कि विक्रय स्थल जिससे भी साबित होता है कि उक्त मद के तथ्य निराधार गलत व झूठे होने के कारण परिवार निरस्तणीय है। आवेदन पत्र की मद सं 5 पूर्णतया झूठे, गलत, मिथ्या एवं काल्पनिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण अस्वीकार है। उक्त मदानुसार लिए गए सैम्पल को किस आधान/बर्तन में लिया गया एवं उसे किस प्रकार से एकरूपता प्रदान की गई आदि तथ्यों को नहीं बताया गया है जिससे यह साबित होता है कि नमूनीकरण का उक्त कार्य विधिनुसार नहीं किया गया है उक्त के आधार पर वाद पोषणीय नहीं होने के कारण वाद सव्यय निरस्तणीय है। आवेदन पर की मद सं. 6 स्वीकार है, मद सं. 7 प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है, मद सं. 8 आंशिक रूप से स्वीकार है, मद सं. 9 व 10 अस्वीकार है। आवेदन पत्र की मद सं. 11 के तथ्य निराधार होने के कारण अस्वीकार है मिन जवाबदाता द्वारा किसी भी प्रकार से विधि का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रस्तुत वाद विधि विरूद्ध तथ्यों पर आवेदक द्वारा श्रीमान न्यायालय में पेश किया गया है जो कि पोषणीय नहीं होने के कारण सव्यय निरस्तणीय है। उक्त वाद पत्र के साथ आवेदक द्वारा सत्यापन व अपना शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त वाद में आवेदक द्वारा नमूनीकरण के दौरान किस आधान मे नमूना लिया गया एवंनमूने को एकरूपता प्रदान करने के लिए सैम्पल को एक रूप किया गया जो कि विधिनुसार आवश्यक था। जिससे यह साबित होता है कि खाद्य सुरक्षा

जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अधिकारी द्वारा नमूना के–1639 लेते समय एफएसएसए के नियमों की पालना नहीं की गई है। न्याय दृष्टांत FAS 207, 2014(1) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में एकरूपता सही प्रकार से नहीं करने पर वाद निरस्त किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी व जन विश्लेषक को गवाही के उद्देश्य से माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने व जिरह हेतु उपस्थित होने के आदेश फरमाये जावे जो कि न्यायहित के लिए आवश्यक है। प्रस्तुत परिवाद गलत तथ्यों के आधार पर विधि विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, जो कि चलने योग्य नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किए जाने योग्य है। खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूना की जांच विधिनुसार नहीं की गई है। उक्त ड्रम में रखा गया सरसों का तेल जो कि निर्माण इकाई पर रखा हुआ था जहां पर उक्त सरसों के तेल की पैकिंग किया जाकर उसे विक्रय किया जाना था न कि उक्त ड्रम से सीधे आमजन को विक्रय किया जाना था। उक्त सरसों के तेल को पिराई के उपरांत अभी पैक किया जाना था। उक्त संबंध में एफएसओ को नमूनीकरण के समय बताया गया था व आग्रह किया गया था कि पैकिंग सरसों के तेल का सैम्पल किया जाकर नमूनीकरण का कार्य किया जावे परंतु एफएसओने मिन जवाबदाता के आग्रह को नहीं माना व उक्त पैकिंग हेतु रखे गए सरसों के तेल लूज का सैम्पल लिया गया जो कि विधिनुसार गलत है। वाद आवेदक के द्वारा विधि विरूद्ध तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है एवं एफएसएसए के तहत खाद्य नमूना संख्या के–1639 में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ तयमानकों के अनुसार सही पाया गया है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किए जाने योग्य है।

राज पैरोकार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर कार्यालय अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिउत्तर दिनांक 28.06.2023 को प्रस्तुत किया कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आदेश परिवाद के साथ संलग्न है। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अभियुक्त से 5 ए भरकर सूचना देकर नमूना संग्रहण किया तथा नियमानुसार जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर नमूने को भिजवाया। मौके पर स्वतंत्र गवाह श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री हरिहार सिंह निवासी प्रताप नगर पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर मौजूद था। अभियुक्त की दुकान/संस्थान मोहल्ले में स्थित होने के कारण इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त द्वारा सरसों तेल का खुले में बेचान आमजन में नहीं किया जाता होगा। नमूनीकरण का कार्य विधि अनुसार किया गया है। जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार Contravenes of regulation Food जो कि सोल्ड इनलूज कन्डीशन पर लागू होता है। आवेदन पत्र की मद संख्या 7, 9 व 10 में वर्णित कार्य एफएसएस एक्ट 2006 व रेगुलेशन 2011 के नियमानुसार कार्यालय से संबंधित है। खाद्य पदार्थ नमूना के–1639 सरसो का तेल जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर से प्रापत रिपोर्ट व श्रीमान् अभिहित अधिकारी के आदेशानुसार एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 58 के तहत श्रीमान् न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष परिवाद पेश किया गया है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के कथनो को दोहराते हुए बताया कि आवेदक के द्वारा विधि विरूद्ध तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

एवं एफएसएसए के तहत खाद्य नमूना संख्या के–1639 में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ तयमानकों के अनुसार सही पाया गया है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किए जाने योग्य है।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त श्री शंकरशम्भू गुप्ता पुत्र श्री दयानन्द गुप्ता, मैसर्स यशी ट्रेडिंग कम्पनी, वार्ड नं. 63, कम्हार मोहल्ला, नजदीक जवाहरनगर थाना, श्रीगंगानगर से लिया गया **सरसों का तेल(खुला)** का सैम्पल **के–1639** जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 137/एक्ट/2023/137 दिनांक 24.02.2023 द्वारा Contravenes of Regulation Food होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/58 के उल्लंधन का अपराध साबित होता है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि The sample of **"Mustard Oil"** bearing Code No. and Sr. No. K-1639 of Designated Officer cum the Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar, is **Contravenes of regulation no. 2.3.115(1)(b) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulation, 2011, as sold in loose condition.**

फलस्वरूप, श्री शंकरशम्भू गुप्ता पुत्र श्री दयानन्द गुप्ता, मैसर्स यशी ट्रेडिंग कम्पनी, वार्ड नं. 63, कम्हार मोहल्ला, नजदीक जवाहरनगर थाना, श्रीगंगानगर को एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(ii)/58 के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री शंकरशम्भू गुप्ता पुत्र श्री दयानन्द गुप्ता को एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत राशि रूपये 12000/– (अखरे रूपये बारह हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्री गंगानगर।